

अतिमहत्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या-250/चालीस-2025-18(3)2021

प्रेषक,

एस. पी. गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
गृह/ होमगार्ड्स/ कारागार/ नगर विकास/ नागरिक सुरक्षा/ प्रांतीय रक्षक दल
एवं युवा कल्याण/ पंचायती राज/ ग्राम्य विकास/ खेल/ सैनिक कल्याण/
बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ सूचना एवं जन सम्पर्क/ वन
एवं पर्यावरण/ संस्कृति/ बाल विकास एवं पुष्पाहार/ महिला कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

लखनऊ- दिनांक 29 अक्टूबर, 2025

विषय: 31 अक्टूबर, 2025 को स्वतन्त्र भारत के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह अवगत कराए जाने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती 31 अक्टूबर को हर वर्ष पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह स्वतन्त्र भारत के वास्तुकार के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को मान्यता देने और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का दिन है।

2- अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में अत्यन्त भव्यता के साथ गरिमापूर्वक आयोजित किया जाए। इस अवसर पर देश की एकता और अखण्डता के लिए "राष्ट्रीय एकता दिवस" के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करते समय निम्नलिखित शपथ ली जाए:-

राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ

"मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ।"

हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।"

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाए:-

- (1) राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाए। 'राष्ट्रीय एकता दिवस' प्रतिज्ञा का पाठ संलग्न है।
- (2) राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए, जहां भी सम्भव हो, राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों या संरचनाओं और अन्य एजेन्सियों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया जाए।
- (3) प्रातः 08 बजे प्राइमरी विद्यालयों के छात्रों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्रभातफेरियों का आयोजन तथा माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की रैलियों का आयोजन किया जाए।
- (4) सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं व भाषण प्रतियोगिताएं माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि में आयोजित कराई जाएं। छात्रों द्वारा सरदार पटेल के जीवन पर आधारित नाटकों का मंचन भी किया जाए। सूचना एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से स्थानीय समारोह स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जाए।
- (5) पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय एकता के संदेश को फैलाने के लिए, समाज के सभी वर्गों के लोगों के सहयोग से उचित स्थानों पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन कराया जाए।
- (6) कारागृहों में राष्ट्रीय एकता पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं।

4- सरदार पटेल की जयन्ती को भव्यतापूर्वक मनाए जाने के लिए प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं:-

- (1) जी0पी0ओ0 पार्क स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण का आयोजन।
- (2) पुलिस, पी0ए0सी0, सेना एवं होमगार्ड के जवानों तथा सिविल डिफेंस के लोगों को सम्मिलित करते हुए मार्च पास्ट का आयोजन।

5- उक्त अवसर पर समारोह की गरिमा के अनुरूप अन्य मर्यादित एवं प्रासंगिक स्थानीय कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

6- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती 31 अक्टूबर को मनाए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या 133/40-2025/001-बजट-2-2025 दिनांक 29 मई, 2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से कार्यक्रम की समय-सारणी एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

7- कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे उक्त समारोह भव्य एवं गरिमापूर्वक आयोजित हो सके।
संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,
(एस. पी. गोयल) 28/10/2025
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- (1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उल्लिखित समस्त कार्यक्रमों की सफल क्रियान्वयन के दृष्टिगत अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
Maneesh Chauhan
Date: 29-10-2025
13:42:17

आज्ञा से,
(मनीष चौहान)
प्रमुख सचिव।